फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्रीमती सोहनकुंवर **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 88 रा.का.अधि. **पत्रावली संख्या : 44/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 07.06.2023 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प मोरठ में पेश हुई। अधिवक्ता वादीयां व राजपेरोकार उपस्थित। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त, शामिल फाईल रहे। अधिवक्ता वादीयां द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादीयां का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा उपस्थित होकर रिपोर्ट को ही बहस माना जाकर वादीयां के वाद को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादीयां द्वारा राजस्व रेकार्ड में वादीया का नाम चुनाकुंवर पुत्री भंवरसिंह गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। वादीयां द्वारा वाद पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति, बैंक पास बुक की प्रति, भामाशाह कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, राशन कार्ड की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। वादीयां द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में वादीया का नाम सोहनकुंवर अंकित है। राजपेरोकार मावली द्वारा चुनाकुंवर व सोहन कुंवर दोनों को एक ही महिला होना बताकर नाम संशोधन में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार वादीया का नाम सोहनकुंवर पुत्री भंवरसिंह होना जाहिर होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः वादीया का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा मानखण्ड पटवार हल्का मोरठ की आराजी नम्बर 404, 408, 618, 619 किता 4 रकबा 1.0116 हेक्टेयर भूमि में खातेदार चुनाकुंवर पुत्री भंवरसिंह के बजाय चुनाकुंवर उर्फ सोहनकुंवर पुत्री भंवरसिंह संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय सुनाया गया। **(श्रीकान्त व्यास)** **सहायक कलक्टर** **(FT) मावली** Signature Not Verified	

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 14:15:24 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 44/22 (वाद) GCMS No. : 2022/81

उनवान

1. श्रीमती सोहनकुंवर पत्नी मानसिंह राजपूत निवासी मानखण्ड तह. मावली।

........वादीयां

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का मोरठ तह. मावली।

.........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा मानखण्ड पटवार हल्का मोरठ की आराजी नम्बर 404, 408, 618, 619 किता 4 रकबा 1.0116 हेक्टेयर भूमि में खातेदार चुनाकुंवर पुत्री भंवरसिंह के बजाय चुनाकुंवर उर्फ सोहनकुंवर पुत्री भंवरसिंह संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 07.06.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 14:15:24 IST
Reason: SelfAttested